PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Amar Ujala, Delhi
Mon, 19 Jun 2017, Page 1
Width: 57.39 cms, Height: 16.46 cms, a3r, Ref: 20.2017-06-19.6

जीएसटी : कारोबारियों को रिटर्न भरने में दो माह की छूट

होटल उद्योग को भी राहत, निजी लॉटरी पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा, सरकार ने साफ किया, 30 जून की आधी रात से लागू होगा जीएसटी

नई दिल्ली। कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए दो महीने की राहत दी गई है। सितंबर से उन्हें हर महीने समय पर रिटर्न फाइल करना होगा। इस बीच, सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में और किसी देरी से साफ इनकार किया है।

जीएसटी परिषद की रविवार को हुई 17वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि हमारे पास जीएसटी को टालने का समय नहीं है। इसे 30 जून और पहली जुलाई की मध्य रात्रि से ही लागू कर दिया जाएगा। कारोबारियों को जुलाई की बिक्री का रिटर्न अब 10 अगस्त की जगह 5 सितंबर को जमा करना होगा। वहीं कंपनियों को अगस्त की सेल इनवॉयस को जीएसटी नेटवर्क पर 10 सितंबर के बदले 20 सितंबर को फाइल करना होगा। एजेंसी

7,500 तक के होटल कमरों पर 18 फीसदी टैक्स

होटल उद्योग को भी जीएसटी परिषद से राहत मिली है। 5,000 रुपये के किराए वाले होटल रूम के लिए अब 18 फीसदी जीएसटी देना होगा। 7,500 रुपये से अधिक के किराए वाले कमरे पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 2,500 से 7,500 रुपये प्रतिदिन के किराए वाले कमरों के लिए जीएसटी की दर 18 फीसदी होगी। वहीं लॉटरियों पर जीएसटी की दो अलग-अलग दरें तय की गई हैं। सरकारी लॉटरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी चुकाना होगा जबकि सरकार की ओर से अधिकृत निजी लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा।

जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली और वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार।

मुनाफाखोरी उन्मूलन समेत 6 नियमों को मंजूरी

जीएसटी परिषद ने मुनाफाखोरी उन्मूलन, एडवांस रूलिंग, अपील एवं रिवीजन, एसेसमेंट, फंड सेटलमेंट आदि छह नियमों को मंजूरी दी है। एक स्थायी समिति मुनाफाखोरी की शिकायत आगे की जांच के लिए सेफगार्ड निदेशालय को सौंपेगी। तीन माह में पांच सदस्यीय मुनाफाखोरी उन्मूलन प्राधिकरण बनेगा। इसका कार्यकाल दो साल का होगा।

ई-वे बिल पर फैसला नहीं : जीएसटी परिषद ई-वे बिल की अधूरी तैयारियों को देखते हुए इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई। जेटली ने कहा, परिषद में इस मुद्दे पर दो मत थे। इस पर आगे विचार किया जाएगा...तब तक, वैकल्पिक नियम काम करेगा, जो राज्यों को मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिए अधिकृत करेगा।